

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी. पाली थाना : ए.सी.बी. सी.पी.एस. जयपुर वर्ष 2022

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7

(2) अधिनियम - धारा 7

(3) अधिनियम - धारा 7

(4) अन्य अधिनियम व धारा 7

3. (अ) रोजानामात्र आम रपट संख्या 5456 म समय

(ब) अपराध के घटने का दिन - गुरुवार दिनांक-17.02.2022 समय: 04:30 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक - 17.02.2022 समय- 02:00 पी.एम.।

4. सूचना किस्म :- लिखित।

5. घटनारथ :-

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- बरख दक्षिण-पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 60 किमी।

(ब) पता :- आरोपी पटवारी का पटवार मण्डल, राणावास, गांव राणावास

..... बीट संख्या ..... जरायमदेही सं. ....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवारी /संबन्धकार :-

(अ) नाम :- श्री हमीराम देवासी

(ब) पिता/पति का नाम :- श्री धनाराम देवासी

(स) जन्म तिथि ..... 28 वर्ष।

(द) राष्ट्रीयता :- भारतीय

(द) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि .....

(र) व्यवसाय :- खेती

(ल) पता :- निवासी गांव ठाकुरवास, वाया राणावास, पुलिस थाना सिरीयासी, तहसील

मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

7. जाल /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विहिष्टियों सहित :-

1. श्री चौहान राजुसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह उम्र 46 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव

सिरीयासी, वाया राणावास, पुलिस थाना सिरीयासी, जिला पाली हाल पटवारी

पटवार मण्डल राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

8. (होकायत/इतला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :- शून्य

9. (चौरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नम्बरी करें) -

10. चौरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य :-

11. (मूल्य समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मूल्य मामला सं) (यदि कोई हो तो) :-

12. (प्रोसॉरिड की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नम्बरी करें) :-

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिप्त अक्षाक महदवयुज्जि, अष्टवार निरोधन कर्त्तव्यं । पाणि ।

1. ପ୍ରକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁ : ନବମ

मया निवेदन है कि मेरी माता मांगी देवी ने ग्राम मलया बावडी में श्री

मेरा निवेदन है कि मेरी माता मांगी देवी ने ग्राम मलसा बावडी में श्री खसरा नं. 907/1 कृषि भूमि खरीदी थी। उक्त मेरी माता की खरीदशुदा भूमि का म्यूटेशन करने हेतु मैंने खरीद की रजिस्ट्रीया हल्का पटवारी श्री राजुसिंह को दी थी। उसी रोज श्री राजुसिंह पटवारी ने मेरी माता के नाम उक्त खसरा का म्यूटेशन भरने के एवज में 2000 दो हजार रुपये लिये थे एवं अभी ओर रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री राजुसिंह पटवारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। पटवारी श्री राजुसिंह बिना पैसों के बातचीत नहीं करता है इसीलिए मैं कुछ रुपये श्री राजुसिंह पटवारी को दूंगा तो श्री राजुसिंह खुलकर मेरे से बाकि राशि के लिए बातचीत कर लेगा। पटवारी श्री राजुसिंह से मेरा कोई लेन-देन बकाया नहीं है एवं कोई रंजिश नहीं है।

अतः श्रीमान भर्गु माता द्वारा खरीद किये गये खसरा की जमाबंदी एवं

ମୁନିକ ଛକପ୍ର କ ସିପିଜିଆ ଓ ଗାବତ୍ର କି ସି ନରନି ଥକ ପଞ୍ଚିକ ପ୍ରକାହାଉ କି ହାଝିଆପିଆ

1. ရလဒ် မှတ်တမ်း

ጸሐፊዎች/ጸሐፊዎች - ሌብወልድ

ለዘጠነአምስት

17.02.2022

ጋራ ህክሊቱ

Adsp Acb पाली

ለዘመናዊነት

શ્રી પરમાત્મિનિઃ ગણે : 18.02.2022

શ્રી રત્નવત્સિદ્ધ ગણેશ : 18.02.2022

શ્રી રાજા કમાર પાલ : 14.03.2022

ਭਾਈਬੇਰੁ ਭਾਈਬੇਰੁ ਭਾਈ ਕਹਿ ਭਾਈਬੇਰੁ ਭਾਈਬੇਰੁ)

ମାଲି ରେବାରି ୩୫ ୨୮ ୧୫ ୧୯୩୩

പിള്ളയുടെ ഭാഗ്യം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു-നാലു മാസമായി

ප්‍රාග් ධර්ම ප්‍රාග්ධර්ම-ප්‍රාග් ධර්ම

ମାଗାଣ୍ଡଲ ମହାପାତ୍ର 8104718294

कायदाही पुलिस दिनांक 17.02.2022 समय 2:00 पी.एम.

11118

हालाल इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2022 को समय 2:00 पी.एम. पर एक व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित आया जिसको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिवार व्यक्त कर उसका परिवार पूछने पर उसने अपना परिवार श्री हमीराम देवासी पुत्र श्री धनाराम जाति देवासी उम्र 28 वर्ष पेशा खेती निवासी गांव ठाकुरवास, बाया राणावास, पुलिस थाना सिरियाड़ी, तहसील मारवाड जखन, जिला पाली होना बताया। श्री हमीराम देवासी ने मने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक इस आशय का प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किये की " मेरी माता मांगीदेवी ने ग्राम मलसा बावड़ी में श्री केशुकुमार पवार एवं श्रीमति आरती पवार से



दिनांक 08.11.2021 को खसरा नम्बर 907 एवं 907/1 के पि भूमि खरीद थी। उक्त भूमी माता की खरीदशर्दा भूमि का स्यूटेशन करने हेतु मैंने खरीद की रजिस्ट्रीयां हल्का पटवारी श्री राजुसिंह के पास दी थी। उसी रोज श्री राजुसिंह पटवारी ने भूमी माता के नाम उक्त खसरा का स्यूटेशन करने की एवज में 2000 दो हजार रुपये लिये थे एवं अभी और रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री राजुसिंह पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंग हथी पकड़वाना चाहता हूँ। पटवारी श्री राजुसिंह बिना पैसों के बातचीत नहीं करता है इसलिए मैं कुछ रुपये श्री राजुसिंह पटवारी को दूंगा तो श्री राजुसिंह खुलकर मेरे से बाकी राशि के लिए बातचीत कर लेगा। पटवारी श्री राजुसिंह से मेरा कोई लेनदेन बकाया नहीं है एवं कोई रंजिश नहीं है। अतः भूमी माता द्वारा खरीद किये गये खसरा की जमाबंदी एवं रजिस्ट्रियां की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन है कि पटवारी श्री राजुसिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करावे। पटवारी ने रिपोर्ट स्वयं कलमी होना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। वगैरा रिपोर्ट एवं दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि का सत्यापन करवाकर लाने बाबत आवश्यक हिदायत दी गई। समय 03:00 पी.एम. पर पटवारी श्री राजुसिंह पटवारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की भलाया की श्री राजुसिंह पटवारी बिना पैसों के खुलकर बातचीत नहीं करेगा। इसलिए मांग सत्यापन वार्ता के दौरान कुछ रुपये दूंगा तो बातचीत कर लेगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी पटवारी के कथनों से सहमत हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पटवारी ने विचार विमर्श कर आज मांग सत्यापन के हेतु 2000/- रुपये पटवारी श्री राजुसिंह को देने हेतु निर्णय लिया। जिसपर पटवारी श्री राजुसिंह पटवारी पर पटवारी श्री हमीराम देवासी एवं श्री धर्मराम कानि. के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं छायाप्रतियां करवाकर कर नोट की आगे-पीछे की छायाप्रतियां करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त चारों नोट की आगे-पीछे की छायाप्रतियां करवाकर कर नोट की छायाप्रतियां स्वयं के पास सुरक्षित रखी एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये पांच-पांच सौ रुपये को उक्त चारों नोटों को पुनः पटवारी श्री हमीराम देवासी को सौंपद कर श्री धर्मराम कानि. को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर सौंपद कर आरोपी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ पटवारी श्री हमीराम के साथ जरिये पटवारी के निजी वाहन से ग्राम राणावास के लिये रवाना किये।

दिनांक 17.02.2022 को समय 5:45 पी.एम. पर श्री धर्मराम कानि. 400 एवं पटवारी श्री हमीराम देवासी बाद मांग सत्यापन वॉयस उपरिस्थित आये एवं श्री धर्मराम कानि. पटवारी श्री हमीराम देवासी डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शूट सौंपद किये। पटवारी श्री हमीराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की हम आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर मेरे निजी वाहन से गांव राणावास के पटवारी भवन के पास पहुँचे जहाँ श्री धर्मराम कानि. ने मुझे आवश्यक समझाईश कर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता करने हेतु साथ लाया डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर मुझे सौंपद कर रवाना किया। मैं श्री धर्मराम कानि. के पास से रवाना होकर पटवारी भवन राणावास में गया जहाँ श्री राजुसिंह पटवारी उपस्थित भिला जिनसे भूमी माता की खरीदशर्दा जमीन का स्यूटेशन करने की एवज में बातचीत की मैंने बातचीत के दौरान आपको प्रस्तुत किये पांच-पांच सौ रुपये श्री राजुसिंह पटवारी उपरिस्थित आये एवं श्री धर्मराम कानि. 400 एवं

दिनांक 17.02.2022 को समय 2:45 पी.एम. पर श्री धर्मराम कानि. 400 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर पटवारी श्री हमीराम देवासी तथा श्री धर्मराम कानि. 400 आपस में परित्य करवाया गया तथा कार्यालय का डिजीटल वॉर्डेस रिकार्डर मंगा कर संचालन की विधि पटवारी एवं श्री धर्मराम कानि. को समझाई जाकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाकर लाने बाबत आवश्यक हिदायत दी गई। समय 03:00 पी.एम. पर पटवारी श्री राजुसिंह पटवारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की भलाया की श्री राजुसिंह पटवारी बिना पैसों के खुलकर बातचीत नहीं करेगा। इसलिए मांग सत्यापन वार्ता के दौरान कुछ रुपये दूंगा तो बातचीत कर लेगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी पटवारी के कथनों से सहमत हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पटवारी ने विचार विमर्श कर आज मांग सत्यापन के हेतु 2000/- रुपये पटवारी श्री राजुसिंह को देने हेतु निर्णय लिया। जिसपर पटवारी श्री राजुसिंह पटवारी पर पटवारी श्री हमीराम देवासी एवं श्री धर्मराम कानि. के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं छायाप्रतियां करवाकर कर नोट की आगे-पीछे की छायाप्रतियां करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त चारों नोट की आगे-पीछे की छायाप्रतियां करवाकर कर नोट की छायाप्रतियां स्वयं के पास सुरक्षित रखी एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये पांच-पांच सौ रुपये को उक्त चारों नोटों को पुनः पटवारी श्री हमीराम देवासी को सौंपद कर श्री धर्मराम कानि. को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर सौंपद कर आरोपी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ पटवारी श्री हमीराम के साथ जरिये पटवारी के निजी वाहन से ग्राम राणावास के लिये रवाना किये।



8

दिनांक 18.02.2022 को समय 09:30 ए.एम. पर परिवारी श्री हमीराम ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री राजेश्वर पटवारी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रुपये के दस नोट राशि 5,000 रुपये मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवारी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर श्री अमय कुमार म.आ. एम.टी. 09 से उक्त सभी नोटों पर हल्का-हल्का फिनीशियलीन पाऊडर लगाया गया। परिवारी श्री हमीरामराम की जामा तलाशी गवाह श्री पदमसिंह कनिष्ठ सहयक से लिवाई जाकर रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 5,000 रुपये अमय कुमार म. आ. एम.टी. के हथ से परिवारी के पहले हुए लॉवर की दाहिनी जेब में रखवायी गयी तथा फिनीशियलीन पाऊडर एवं सोलियम कार्बोनेट पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया के बारे में समझाईया कर दृष्टांत दिया गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं संपूर्ण रिश्वत राशि एवं प्रद्वान फिनीशियलीन पाऊडर एवं सोलियम कार्बोनेट पाऊडर में अंकित किया जाकर फर्द पर मने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने हस्ताक्षर के हस्ताक्षर कर सन्निहितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शान्ति रनिंग नोट की गयी। तत्पश्चात मने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा

पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा।

सत्यापन आदेशानुसार बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त डिटेल वॉर्ड्स रिकॉर्ड मने अतिरिक्त गवाह रहने का कहने पर दोनों कानि को ने अपनी-अपनी सहमति प्रकट की। फर्द मांग उक्त रिपोर्ट पर दिनांकित हस्ताक्षर किये। उक्त दोनों कानि को इस प्रकार में निष्पक्ष में रिकॉर्ड है जो दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनायी गई। दोनों गवाहान ने परिवारी द्वारा प्रस्तुत आरोपी के बीच रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई वाली जो डिटेल वॉर्ड्स रिकॉर्ड श्री हमीराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोनों कानि को सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवारी एवं के मन्तव्य एवं हुए वाक्य से मने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया। परिवारी श्री हमीराम का परिचय परम्पर दोनों कानि को से करवाया गया एवं दोनों गवाहान को बुलाने गुंजाएन्दला, पंचायत समिति पाली, जिला पाली के रूप में दिया। इस पर उपस्थित परिवारी गुंजाएन्दला, पुलिस थाना गुंजाएन्दला, तहसील व जिला पाली हाल कनिष्ठ सहयक ग्राम पंचायत श्री हनवन्तसिंह पुत्र श्री मांगसिंह जालि रावणा राजपुर, उम्र 34 वर्ष, पेशा नौकरी निवासी गांव जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहयक ग्राम पंचायत गुंजाएन्दला, पंचायत समिति पाली, जिला पाली एवं नौकरी, उम्र 37 वर्ष निवासी गांव राववा तहसील जैसलमेर, पुलिस थाना रामगढ, जिला पुछने पर दोनों ने कमशः अपना परिचय श्री पदमसिंह पुत्र श्री हनवन्तसिंह जालि राजपुर पेशा किया। मने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर दोनों कानि को से परिचय जाबा एवं दो कानि कायलिय में उपस्थित आकर मने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से संपर्क दिनांक 18.02.2022 को समय 09:00 ए.एम. पर परिवारी श्री हमीराम एवं ब्युरे

निर्देश प्रदान किये गये।

शिवगाने का निवेदन किया गया एवं ब्युरे जाबा को प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बंध में आवश्यक होने से विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली के नाम तहसीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द कर रखस्त किया जाकर प्रस्तावित द्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता कल दिनांक 18.02.2022 को प्रातः 9:15 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय पाली में उपस्थित आने हेतु वार्ता मूर्तिब करने का निर्णय लिया। परिवारी श्री हमीराम को रिश्वत राशि की ब्यवस्था कर सुरक्षित रखा एवं आदेशानुसार रुबरु स्वतंत्र गवाहान के फर्द टैन्स्कीट रिश्वत राशि मांग सत्यापन अतः द्रैप कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए उक्त डिटेल वॉर्ड्स रिकॉर्ड को अपने कब्जे में दौरान 2000/- रुपये प्राप्त करना एवं 5000/- रुपये की और स्पष्ट मांग करना पाया गया। को सुना तो परिवारी से आरोपी द्वारा पूर्व में 2000/- रुपये प्राप्त करना, मांग सत्यापन के उपस्थिति में मने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त डिटेल वॉर्ड्स रिकॉर्ड में रिकॉर्ड वार्ता धर्मराम कानि. ने परिवारी श्री हमीराम के कथनों की ताईद की। जिसपर परिवारी की को हालात बताये जिसपर हम दोनों राणावास से रवाना होकर आपके पास उपस्थित आये। श्री से डिटेल वॉर्ड्स रिकॉर्ड प्राप्त कर रबीवर्षा कर अपने पास रखा। मैंने श्री धर्मराम कानि. कि मांग की है जिसपर मैं वार्ता कर बाहर एकान्त में आया जहां पर श्री धर्मराम कानि. ने मेरे



5

एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को रुखसत किया गया।

स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम को गोपनीयता रखने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर परिव्रादी 2022 को सुबह 08:30 बजे कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। परिव्रादी, दोनों पर मिलने हेतु परिव्रादी को पाबन्द किया गया एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी दिनांक 21.02.2022 को राणावास से करीब 06 किलोमीटर पहले मारवाड़ रोड पर सुबह करीब 10:15 ए.एम. उचित होगा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिव्रादी की राय से सहमत होकर दिनांक 21.02. मण्डल राणावास नहीं आयेगा, इसलिए दिनांक 21.02.2022 को अग्रिम रैप कार्यवाही करना 19.02.2022 एवं 20.02.2022 को अवकाश है जिसके कारण पटवारी श्री राजुसिंह पटवार परिव्रादी श्री हमीराम ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक

डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर को अपने पास सुरक्षित रखा।

अधीक्षक द्वारा रिखत राशि मांग सत्यापन वार्ता की शिन्डुदा सी.डी. एवं डब सी.डी. एवं परिव्रादी स्वयं की आवाज की पहचान परिव्रादी श्री हमीराम ने की। मन अतिरिक्त पुलिस डी. को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त रिकॉर्डर वार्ता में आरोपी एवं किया जाकर कपड़े की थैली एवं फट्टे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी सी. सी.डी.यां तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर शामिल रनिंग नोट की गयी तथा रिखत राशि मांग सत्यापन की कम्प्यूटर के माध्यम से दो सत्यापन तैयार करना प्रारम्भ की गयी। फट्टे रिखत राशि मांग सत्यापन वार्ता मूर्तिब कर एवं समझ-समझकर बाढ-ब-बाढ कम्प्यूटर के माध्यम से फट्टे टैन्स्कीट रिखत राशि मांग वार्ता जो डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है जिस वार्ता को सुन-सुनकर हमीराम के मध्य दिनांक 17.02.2022 को रिखत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई रुबक निष्पक्ष गवाहान एवं परिव्रादी की उपस्थिति में आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी व परिव्रादी श्री रूखि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दोनों कुमार म.आ. एम.टी. 09 से निकलवायी जाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाकर सुरक्षा की हमीराम के पहले हुए लॉवर की दाहिनी जेब में रखवायी गई रिखत राशि को श्री अमय मय हमरायान उपरोक्त फिकरा के खानागुदा एसीबी कार्यालय पाली पहुँचे। परिव्रादी श्री दिनांक 18.02.2022 को समय 04:00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

कार्यालय पाली के लिए खाना हुए।

अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिव्रादी, हमरायान, सामग्री सहित निजी वार्तों से एसीबी अधीक्षक द्वारा आईन्दा रैप कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस ज्ञात हुआ है, इसलिए आईन्दा कार्यवाही करना उचित रहेगा। जिसपर मन अतिरिक्त पुलिस मवन राणावास पर उपस्थित नहीं आया है तथा मार्गमात किया तो आज राणावास नहीं आना ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रुबक गवाहान बताया की श्री राजुसिंह पटवारी पटवार का पता लगाने हेतु प्रयास प्रारम्भ किये गये। समय 02:30 पी.एम. पर परिव्रादी श्री हमीराम जिसपर परिव्रादी श्री हमीराम ने अपने स्तर पर आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी की उपस्थित गई जाकर परिव्रादी श्री हमीराम को आरोपी की उपस्थिति का पता लगाने हेतु कहा गया अधीक्षक द्वारा परिव्रादी को रिखत राशि के हथ नहीं लगाने हेतु आवश्यक पुनः हिदायत दी अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के गांव राणावास से पहले पहुँचे। मन अतिरिक्त पुलिस दिनांक 18.02.2022 को समय 11:15 ए.एम. पर खानागुदा मन अतिरिक्त पुलिस

कुमार म.आ. एम.टी. 09 को ब्यूरो चौकी पाली पर छोड़ा गया।

राणावास के लिये खाना हुए। रिखत राशि पर फिर्नायलीन पाउडर लगाने वाले श्री अमय विमानिय डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु गांव सहाराक व परिव्रादी श्री हमीराम जारिये निजी वार्तन से मय रैपवॉक्स आवश्यक सामग्री तथा वरिष्ठ लिपिक मय स्वतंत्र गवाह श्री पदमसिंह कनिष्ठ सहाराक एवं श्री हनवन्तसिंह कनिष्ठ धर्मराम कानि. 400, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री हनुमानसिंह कानि. 427, श्री अवतारसिंह ब्यूरो जाबा सर्व श्री किशनसिंह मुख्य आरक्षक नं. 92, श्री यशपालसिंह कानि. 429, श्री



दिनांक 14.03.2022 को समय 10:30 ए.एम पर परिवारी श्री हमीराम ने अपने मोबाइल से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी की आज पटवार भवन राणावास आने की पूर्ण संभावना है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवार पंचायत समिति पाली को जरिये दृष्टांत गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व के स्वतंत्र गवाहन भेजने हेतु सूचित किया जिसपर विकास अधिकारी द्वारा पूर्व के गवाहन श्री हनवन्तसिंह कनिष्ठ सहयक के साथ गवाह श्री पदमसिंह कनिष्ठ अवकाश पर होने के कारण श्री पदमसिंह की जगह गवाह श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहयक ग्राम पंचायत लान्छिया की भेजना बताया। श्री हनवन्तसिंह कनिष्ठ सहयक एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति उपस्थित आया जिससे परिवय पुछने पर उसने अपना परिवय श्री रमेश सहयक ग्राम पंचायत लान्छिया को भेजना बताया। श्री हनवन्तसिंह कनिष्ठ सहयक एवं उसके गवाह गवाह श्री पदमसिंह कनिष्ठ सहयक के साथ गवाह श्री पदमसिंह कनिष्ठ सहयक के हेतु पूर्व के स्वतंत्र गवाहन भेजने हेतु सूचित किया जिसपर विकास अधिकारी द्वारा पूर्व के अधीक्षक द्वारा परिवार पंचायत समिति पाली को जरिये दृष्टांत गोपनीय कार्यवाही की आज पटवार भवन राणावास आने की पूर्ण संभावना है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी दिनांक 14.03.2022 को समय 10:30 ए.एम पर परिवारी श्री हमीराम ने अपने

उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया जाकर रुखसत किया गया।  
ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा। दोनो स्वतंत्र गवाहन को आर्डेन्ट सूचित करने पर 5000/- रुपये का लिकाफा एवं डिजिटल वॉर्डेस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली पहुंचा। श्री हमीराम कानि. के पास रखवाया गया रिखत में दी जाने वाली राशि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान उपस्थित फिकरा के खानाशुदा एसीबी कार्यालय सामग्री सहित निजी एवं सरकारी वाहनों से एसीबी कार्यालय पाली के लिए खाना होकर मन देकर रुखसत किया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन, हमरायान, राणावास पटवार भवन में उपस्थित होने पर सूचित करे और परिवारी को आवश्यक हिदायत अधीक्षक द्वारा परिवारी श्री हमीराम को बताया कि आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी ग्राम सहमत हुआ जिसपर देप कार्यवाही आर्डेन्ट करने का निर्णय लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि मनक लगने की संभावना है। जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी को बताया कि आरोपी की उपस्थिति का पता लगाने हेतु ज्यादा प्रयास करने से आरोपी को में बने हुए पटवार भवन पर उपस्थित नहीं आया। परिवारी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित आया तथा बताया कि मैंने अपने स्तर पर पता किया आरोपी श्री राजुसिंह राणावास हमरायान एकान्त में परिवारी के आने के इंतजार में ब्रस्त हुए। परिवारी श्री हमीराम पुनः उपस्थित झाल करने हेतु राणावास खाना किया गया, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एकान्त में खड़ा करवाया गया एवं परिवारी श्री हमीराम को आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी की अपनी मोटरसाइकिल के पास उपस्थित भिला। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहनों को कड़ीब 06 किलोमीटर पहले मारवाड़ जंक्शन रोड के पास पहुंचे जहां परिवारी श्री हमीराम से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपस्थित हमराहियान के कस्बा राणावास से

हुए।

मय प्रिन्टर, पानी केम्पर, साबुन सहित अभिम कार्यवाही हेतु गांव राणावास के लिये खाना आवश्यक सामग्री तथा विमानीय डिजिटल वॉर्डेस रिकॉर्डर, रिखत राशि का लिकाफा, लेपटॉप एवं श्री हनवन्तसिंह कनिष्ठ सहयक निजी वाहन एवं सरकारी वाहन से मय देपबॉक्स कानि. 286, श्री अमय कुमार मृ.आ. एमटी 09 मय स्वतंत्र गवाह श्री पदमसिंह कनिष्ठ सहयक हमरायान कानि. 400, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री हनुमानसिंह कानि. 427, श्री नरेन्द्र चौधरी हमरा ब्यूरो जाळा सर्व श्री किशनसिंह मुख्य आरक्षक नं. 92, श्री यशपालसिंह कानि. 429, श्री लिकाफा श्री हमीराम कानि. के पास सुरक्षित रखवाया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पास अलमारी में सुरक्षित रखवायी गई रिखत में दी जाने वाली राशि 5000/- रु. का गवाहन एवं ब्यूरो स्टाफ उपस्थित आय। सभी हाजीरान को आवश्यक हिदायत दी गई। मेरे दिनांक 21.02.2022 को समय 09:00 ए.एम तक पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो निषक्ष



8

मं रिकॉर्ड है जिसकी फट आइन्दा परिवारी के उपस्थित आने पर बनाई जायगी।  
राजुसिंह पटवारी के मध्य करवाई गई मोबाइल पर वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्ड  
लिकाफा अपने पास अलमारी में सुरक्षित रखी। आज परिवारी श्री हमीराम देवारी एवं श्री  
मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट राशि का  
स्वतंत्र गवाहन की संहिता करने पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रुखस्त किया जाकर  
अधीक्षक मय हमरायान उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा कार्यालय एसीबी पाली पहुँचे। दोनो  
निजी एवं सरकारी गवाहन से एसीबी वार्ता पाली के लिए रवाना होकर मन अतिरिक्त पुलिस  
सहायक, श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक मय परिवारी श्री हमीराम एवं ब्यूरो जाला के पुनः  
रुखस्त कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री हनवन्तसिंह कनिष्ठ  
राजुसिंह की उपस्थित जाल कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर  
आवश्यक होना बताया गया जिसपर परिवारी को बैंगलोर से शीघ्र वापस आकर आरोपी श्री  
मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवारी को समझाईश की गई परन्तु परिवारी द्वारा जाना  
के रुख बलाया की मुझे अपने पारिवारिक काम से बैंगलोर जाना बहुत आवश्यक है। जिसपर  
श्री हमीराम देवारी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनो स्वतंत्र गवाहन

बनाने का निर्णय लिया गया।  
के सम्बन्ध में वार्ता की गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त वार्ता की फट आइन्दा  
को रिकॉर्ड किया गया। परिवारी श्री हमीराम द्वारा आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी से म्यूटेशन  
करवाकर मोबाइल का स्पीकर ऑनकर साथ लाये डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्ड को ऑन कर वार्ता  
8104718294 से आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी के मोबाइल नम्बर 9680372140 पर कॉल  
गई। जिसपर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवारी श्री हमीराम के मोबाइल नम्बर  
राणावास आने अथवा नही आने बाबत बातचीत करने की राय स्वतंत्र गवाहन के रुख दी  
परिवारी ने आरोपी श्री राजुसिंह के मोबाइल पर वार्ता करके उपस्थित जाल करने एवं गांव  
जाल करने की कोशिश की परन्तु श्री राजुसिंह पटवारी गांव राणावास में उपस्थित नही है।  
राणावास के कार्यालय में उपस्थित नही है। श्री राजुसिंह की गांव राणावास में भी उपस्थित  
हमीराम ने स्वतंत्र गवाहन के रुख बताया की श्री राजुसिंह पटवारी पटवार मण्डल  
हमीराम देवारी पुनः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया। परिवारी श्री  
श्री राजुसिंह पटवारी की उपस्थित जाल करने हेतु गया हुआ परिवारी श्री

मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमरायान परिवारी श्री हमीराम के इंतजार में खस्त हुए।  
में आरोपी श्री राजुसिंह की उपस्थित जाल करने हेतु आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया।  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवारी को गांव राणावास में जाकर पटवार मण्डल राणावास  
गवाहन श्री रमेश कुमार एवं श्री हनवन्तसिंह का आपस में परिचय करवाया गया। मन  
उक्त सरकारी एवं निजी गवाहन को सड़क के एक किनारे करके परिवारी श्री हमीराम एवं  
सड़क पर परिवारी श्री हमीराम अपनी निजी मोटरसाइकिल पर उपस्थित मिला जिसपर  
मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान को गांव राणावास से करीब 4 किलोमीटर पहले  
प्रिन्टर, पानी कम्प, साबुन सहित अग्रिम कार्याही हेतु गांव राणावास के लिये रवाना होकर  
सामग्री तथा विभागीय डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्ड, रिपोर्ट राशि का लिकाफा, लेपटॉप मय  
हनवन्तसिंह कनिष्ठ सहायक निजी गवाहन एवं सरकारी गवाहन से मय रैपबॉक्स आवश्यक  
अमय कुमार मृ.आ. एमटी 09 मय स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री  
कानि. 429, श्री धर्मास कानि. 400, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री हनुमानसिंह कानि. 427, श्री  
किया जाकर हमरा ब्यूरो जाला सर्व श्री किशनसिंह मुख आरक्षक नं. 92, श्री यशपालसिंह  
से करीब 4 किलोमीटर पहले मारवाड़ जंक्शन की तरफ रोड पर उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द  
मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवारी श्री हमीराम को गांव राणावास

स्वतंत्र गवाहन रहने की सहमति प्रदान।  
अंश सुनाये गये जिसपर दोनो गवाहन द्वारा श्री राजुसिंह पटवारी के विरुद्ध रैप कार्याही में  
मांग सत्यापन वार्ता की फट पढाई जाकर दोनो गवाहन को मांग सत्यापन वार्ता के प्रमुख



अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवारी श्री हमीराम देवासी पुन श्री हमीराम जाति देवासी उम्र 28 वर्ष पेशा खेती निवासी गांव ठाकुरवास, बाया राणावास, पुलिस

रसीद प्राप्त की गई।

करवाकर राशि 5000/- रूपये परिवारी श्री हमीराम देवासी को संपूर्ण की जाकर प्राप्ति रूपये के दस नोट कुल 5000/- रूपये निकालकर नोटों पर लगे पाउंडर को कपड़े से साफ में सुरक्षित रखा हुआ है जिसको अलमारी में से निकालकर लिकाफा में रखे पांच-पांच सौ दी जाने हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि 5000/- रूपये लिकाफा में से पांच अलमारी हस्ताक्षर करवाये गये। ऊबक स्वतंत्र गावाहन के परिवारी श्री हमीराम देवासी द्वारा रिश्वत में की शिन्डोहार कर कर्त मूर्तिव की गई। उक्त कर्त व कपड़े की थैली पर सम्बलितगणों के में निकालकर कानून के लिकाफे में रखकर लिकाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली वालों रिपोर्ट है, उक्त मेमोरी कांड को मूल ही डिजिटल वॉर्ड्स रिपोर्ट से सुरक्षित हालात से पूर्व परिवारी एवं आरोपी श्री राजुसिंह के मध्य दिनांक 14.03.2022 को हुई मोबाइल पर लगे मेमोरी कांड जिसमें मांग सत्यापन वाला दिनांक 17.02.2022 एवं रिश्वत राशि लेन-देन श्री किशनसिंह मु.आ. को संपूर्ण कर जमा मालखाना करवाई गई। डिजिटल वॉर्ड्स रिपोर्ट में एवं रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व की मोबाइल वाला की शिन्डोहार सी.डी.या एवं डब सी.डी.या श्री हमीराम ने की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वाला गया। उक्त रिपोर्टिंग वाला में आरोपी एवं परिवारी स्वयं की आवाज की पहचान परिवारी सम्बलित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी सी.डी. को डब मानते हुए खूली हालत में रखा मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं कर्त पर मोबाइल वाला की कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडीया तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मोबाइल वाला मूर्तिव कर शामिल रजि. नोट की गयी तथा रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व से पूर्व मोबाइल वाला तैयार करना प्रारम्भ की गयी। कर्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व समझ-समझकर शब्द-ब-शब्द कम्प्यूटर के माध्यम से कर्त टैन्स्कोट रिश्वत राशि लेन-देन ब्यूरो के डिजिटल वॉर्ड्स रिपोर्ट में रिपोर्ट है, उक्त वाला को सुन-सुनकर एवं आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी के मोबाइल पर दिनांक 14.03.2022 को करवाई गई वाला जो दोनों निष्पक्ष गावाहन एवं परिवारी की उपस्थिति में परिवारी के मोबाइल से

हस्ताक्षर करवाये गये।

दोनों स्वतंत्र गावाहन को परिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पढाया जाकर दिनांकित गावाहन श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री हनवन्तसिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। हनवन्तसिंह कनिष्ठ सहायक को उपस्थित आने हेतु सूचित किया गया। जिसपर स्वतंत्र को देने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्र गावाहन श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिम रूपा कार्यवाही को बिछो कर रिश्वत राशि पुन: परिवारी ने प्रार्थना पत्र स्वयं कलमी होकर प्रार्थन पत्र के हालात सही होना बताया। जिसपर मन पुन: लौटाई जावे "। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवारी से पूछताछ की तो परिवारी दी जाने हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि 5000/- रूपये जो आपके पास है, वह राशि मुझे राजुसिंह पटवारी के बिरुद्ध रूपा कार्यवाही की जाने संभव नहीं है इसलिए मेरे द्वारा रिश्वत में इसलिये अब श्री राजुसिंह पटवारी दोष 5000/- रूपये रिश्वत राशि मुझसे नहीं लेगा। अब श्री निवेदन है कि श्री राजुसिंह पटवारी का पटवार मण्डल मलसाबावड़ी से टेंसफर हो गया है है आपका काम मैं नहीं कर सकता आपका काम नये पटवारी आये वह करेगे। इस प्रकार मेरा राजुसिंह पटवारी ने कहा की मेरा ग्राम पंचायत मलसाबावड़ी पटवार हल्के से टेंसफर हो गया पटवारी से सम्पर्क कर मेरी माता के नाम म्यूटेशन दर्ज करने के सम्बन्ध में कहा तो श्री कारण मैं जाँदी नहीं आ सका। मैं दिनांक 05.04.2022 को पुन: आया और मैंने श्री राजुसिंह कारण मैं दिनांक 14.03.2022 को रात्रि में बैंगलोर चला गया था, मेरे काम ज्यादा होने के को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " मेरे पारिवारिक काम आवश्यक होने के कार्यालय में उपस्थित आया। परिवारी श्री हमीराम देवासी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 08.04.2022 को समय 1:00 पी.एम. पर परिवारी श्री हमीराम देवासी



पत्नी  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
अस्वाचार निरोधक ब्यूरो

(नरपते चंद)  
महोदय

जाकर कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की  
मलया बावड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पत्नी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 अस्वाचार  
राणावास जिला पत्नी हाल पटवारी पटवार मण्डल राणावास अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल

अतः श्री चौहान राजुसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, मुकाम पोस्ट सिरीयाही बाया  
(संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।  
मांग की जा श्री राजुसिंह पटवारी लोक सेवक का उक्त कृत्य धारा 7 अस्वाचार निवारण  
करने की एवज में 2000/- रुपये अभिप्राप्त कर 5000/- रुपये और अभिप्राप्त करने की  
की मांग करना पाया गया। श्री राजुसिंह पटवारी ने परिवादी श्री हमीराम के बंधु कार्य को  
मांग सत्यापन के दौरान 2000/- रुपये प्राप्त कर 5000/- रुपये की और रिखत राशि  
खरीद की गई भूमि का स्यूटेशन मरदाने की एवज में आरोपी श्री राजुसिंह पटवारी द्वारा  
तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पत्नी द्वारा परिवादी के बंधु कार्य "अपनी माताजी के नाम  
राजुसिंह पटवारी पटवार मण्डल राणावास अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल मलया बावड़ी  
राणावास, पुलिस थाना सिरीयाही, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पत्नी से आरोपी श्री  
देवासी पुत्र श्री धनाराम जाति देवासी उम्र 28 वर्ष पेशा खेती निवासी गांव ठाकुरवास, बाया  
इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि श्री हमीराम

कार्यवाही बन्द की गई।

राशि का आदान-प्रदान होना संभव नहीं है, जिसपर आरोपी श्री राजुसिंह के विरुद्ध अभिम  
पटवारी का पटवार मण्डल मलयाबावड़ी से स्थानान्तरण हो गया है इसलिए अब रिखत  
ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की श्री राजुसिंह  
पुनः दिनांक 05.04.2022 को आया। दिनांक 08.04.2022 को परिवादी श्री हमीराम देवासी  
नहीं हो पाया। परिवादी पारिवारिक कार्य से दिनांक 14.03.2022 को बंगलोर चला गया जो  
प्रयास किये गये परन्तु पटवारी उपस्थित नहीं होने के कारण रिखत राशि का लेन-देन  
की मांग की गई। दिनांक 18.02.2022, 21.02.2022 एवं 14.03.2022 को दैनिक कार्यवाही के  
राजुसिंह पटवारी ने 2000/- रुपये और प्राप्त कर 5000/- रुपये की और रिखत राशि  
मांग सत्यापन करवाया गया, मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री हमीराम से आरोपी श्री  
2000/- लेकर और रिखत राशि की मांग कर रहा है। जिसपर दिनांक 17.02.2022 को  
भेदी माताजी की खरीददशुदा भूमि का स्यूटेशन मरदाने की एवज में श्री राजुसिंह पटवारी ने  
बावड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पत्नी के विरुद्ध इस आशय की प्रस्तुत की की कि  
रिपोर्ट श्री राजुसिंह पटवारी पटवार मण्डल राणावास अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल मलया  
थाना सिरीयाही, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पत्नी ने दिनांक 17.02.2022 को एक लिखित



प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शीट बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुड़े अन्तर्गत धारा 7 अष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अधिनियुक्त श्री चौहान राजसिंह, पटवारी, पटवार मण्डल राणावास, तहसील मारवाड़ बंकरान, जिला पाली के विरुद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 217/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ़्तीश जारी है।

प्रतिम अधीक्षक-प्रशासन,  
अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कमांक 1920-24 दिनांक 3.6.2022

प्रतिलिपि:-सूचनाएं एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है।

1. विविध न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, अष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।

2. अतिरिक्त महानिदेशक, अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

3. जिला कलक्टर, पाली।

4. उप महानिरीक्षक पुलिस, अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

प्रतिम अधीक्षक-प्रशासन,  
अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर